

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 405]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 सितम्बर 2014—भाद्र 13, शक 1936

पशुपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2014

क्र. एफ-02-25-2014-पैतीस.—राज्य शासन, एतद्वारा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 2-47-2009/AHT(FF)/NLM Vol. III, दिनांक 21 मई 2014 के तारतम्य में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) के दिशा निर्देशों (<http://dahd.nic.in/dahd/WriteReadData/NLM%20Geuidelines%20%20Annex%202014-15.pdf>) के अनुसार राज्य स्तर पर राज्य पशुधन मिशन का गठन किया जाता है, जिसके मिशन संचालक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग होंगे.

2. राज्य पशुधन मिशन के कार्य निम्नानुसार होंगे—

- 2.1 तकनीकी सहायता समूह (TGS) कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जैसी संस्थाओं के समन्वय से मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार करना एवं इसके कार्यान्वयन की देख-रेख करना.
- 2.2 जिले, विकासखण्ड अथवा क्लस्टर स्तर पर चारा/ पशुधन उत्पादन/ संभावना एवं मांग का प्रारंभिक सर्वे कराना, व्यवहार्यता अध्ययन कराना एवं आवश्यकता अनुसार सहायता उपलब्ध कराना.
- 2.3 मिशन की गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्राधिकारी, राज्य सरकार एवं अन्य स्रोतों से धन की व्यवस्था कर मिशन की गतिविधियां संचालित करना, लेखा संधारित करना तथा राष्ट्रीय मिशन प्राधिकारी को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना.
- 2.4 क्रियान्वयन एजेंसी को राशि उपलब्ध कराना तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समीक्षा करना.
- 2.5 मिशन के कार्यक्रम का क्रियान्वयन, कृषक समितियों, अशासकीय संगठनों, उत्पादक संघों सहकारिता, स्व-सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों तथा अन्य समान संस्थाओं द्वारा कराए जाने हेतु सहायता प्रदान करना तथा पर्यवेक्षण करना.

- 2.6 समान रूचि वाले समूहों/ राज्य/ जिला/ उपसंभाग स्तर के संघों को कार्यशाला, सेमीनार, प्रशिक्षण के द्वारा राष्ट्रीय मिशन के प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाना. साथ ही राज्य कृषि/ पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की संस्थाओं, आत्मा/ कृषि विज्ञान केन्द्र, सिविल सोसाईटी संगठन एवं इसी प्रकार की संस्थाएं जिनके पास विशेषज्ञता हो, के माध्यम से तकनीक हस्तांतरण व दक्षता विकसित करना.
- 2.7 पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग भारत शासन को मासिक जानकारी उपलब्ध कराना तथा प्रतिमाह की 5 तारीख तक विभाग/ मिशन की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करना.
- 2.8 निचले स्तर तक सूचना संचार तकनीकी (आई.सी.टी.) युक्त सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ करना तथा यदि आवश्यकता हो तो स्वयं की वेबसाइट विकसित व संधारित करना.
- 2.9 क्रियान्वयन एजेन्सी की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना.

No. F 2-25-2014-XXXV.—In context to letter No. 2-47/2009-AHT(FF)/NLM Vol. III, dated 21st May 2014 of Government of India, Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, State Government, hereby, constitutes State Livestock Mission at State level as per guidelines of National Livestock Mission (<http://dahd.nic.in/dahd/WriteReadData/NLM%20Geuidelines%20%20Annex202014-15.pdf>), whose Mission Director will be Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Animal Husbandry.

2. State Livestock Mission will have the following functions—

- 2.1 Prepare strategic perspective Annual Action Plan in consonance with Mission's goals and objectives and in close co-ordination with Technical Support Groups, SAUs and ICAR institutes; and oversee its implementation.
- 2.2 Organize base-line survey and feasibility studies at district, block and cluster level to determine status of fodder/ livestock production/ potential and demand and tailor assistance accordingly.
- 2.3 Receive funds from National Mission Authority, State Government and other sources, pool financial resources for carrying on Mission's activities, maintain proper accounts thereof and submit utilization certificate to National Mission Authority.
- 2.4 Release funds to implementing organizations and oversee, monitor & review implementation of the programmes.
- 2.5 Assist and oversee Mission's programmes being implemented through Farmers' Societies, NGOs, growers associations, cooperatives, selfhelp groups, Farmers' Producer Organisations (FPOs), and other similar entities;
- 2.6 Organize Workshops, Seminars and training programmes for sensitization of all interest groups/ associations at State/ District/ Sub-district level to provisions of NLM, as also for technology transfer and skill development, with the help of SA(VS)Us, ICAR Institutes, ATMAs / KVKs, Civil Society Organisations, and other institutions having technical expertise.
- 2.7 Furnish monthly progress reports to DADF and also upload same by 5th of each month, on the website of the Department/ Mission.
- 2.8 Operationalise Information Communication Technology (ICT) enabled Management Information System (MIS) up to grass root level and, if need be, develop and host its own web site.
- 2.9 Supervision and monitoring of the implementing agencies.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभा इवनाती, उपसचिव.